भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 58

07 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

एसआरटीएमआई परियोजनाएं

58. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) देश में लौह और इस्पात क्षेत्र हेतु संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग पर एसआरटीएमआई की अनुसंधान परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसआरटीएमआई में मानव संसाधनों की भारी कमी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एसआरटीएमआई की स्थापना के बाद से अब तक की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश के लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए एसआरटीएमआई द्वारा नियोजित महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) उद्योग, राष्ट्रीय आरएंडडी प्रयोगशालाओं तथा अकादमिक संस्थानों के मध्य सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI, 1860 के तहत पंजीकृत एक उद्योग संचालित पहल है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एनएमडीसी तथा मेकॉन एसआरटीएमआई के शासी बोर्ड के सदस्य हैं। शासी बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग के सदस्य द्वाराक्रमागत आधार पर की जाती है। इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी एसआरटीएमआई के शासी बोर्ड के सदस्य हैं। सभी निर्णय शासी बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) से संबंधित परियोजनाओं पर शासी बोर्ड द्वारा चर्चा की जाती है तथा अनुमोदनप्रदान किया जाता है।

(ख) से (ड.): एसआरटीएमआई एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह सरकार का स्वायत्त निकाय नहीं है। अत: सरकार न तो इसकी अनुसंधान परियोजनाओं, और न ही इसके प्रभाव, मानव संसाधन की तैनाती अथवा किसी अन्य उपायों का आकलन करती है।

*****